न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आरएएस उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

दायर दिनांक – 6.12.2017

प्रकरण संख्याः 16/2017 (प्रार्थना पत्र)

फैसल दिनांक –12.2.2018

1– मानजी /कुरिया पटेल निवासी सरोदा तहसील सागवाडा

2– श्रीमती जउती पिता गोकलजी पाटीदार निवासी सरोदा तहसील सागवाडा पत्नि कुरिया पटेल निवासी ओडा तहसील गढी जिला बांसवाडा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1–श्रीमती जीवं पत्नि जगजी पटेल निवासी पिण्डावल तहसील आसपुर

2– लेण्ड होल्डर तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0 निर्णय एवं डिकी में संशोधन हेतु

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त अनवान के वाद प्रकरण संख्या 71/2010 अन्तर्गत राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा88,188 में पारित निर्णय दिनांक 17.2.2016 पारित हुआ है जिसमें तनकी संख्या 1 से 5 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है । निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.2.2016 में खाता संख्या 495/479 के बजाय गलती से 495/480 टाईप हो गया है एवं खाता संख्या 496/480 सेहवन से लिखना रह गया है । यह कि निर्णय के पृष्ठ संख्या 9 में पैरा संख्या 2 की 7वी पंक्ति में भेमजी के देहावसान के बाद स्वर्गीय भेमजी के हिस्से में 1/2,1/2 आधा आधा हिस्सा में वादीगण यअपना नाम प्रतिस्थापित कराने के अधिकारी होने की घोषणा की जाती है होना चाहिए के बजाय सेहवन से भेमजी के देहावसान के बाद 1/2 हिस्से में वादी अपना नाम प्रतिस्थापित कराने का अधिकारी होने की घोषणा की जाती है लिख दिया गया है जो सेहवन से गलत लिख दिया गया है । इसी प्रकार डिकी में भी खाता संख्या 495/479 के बजाय 495/480 गलत लिख दिया है एवं खाता संख्या 496/480 सेहवन से लिखना रह गया है एंव स्वर्गीय भेमजी के हिस्से में 1/2 1/2 आधा आधा हिस्सा वादीगण अपना नाम प्रतिस्थापित कराने के अकिारी होने की घोषणा की जाती है के बजाय भेमजी के देहावसान के बाद 1/2 हिस्से में वादी अपना नाम प्रतिस्थापित कराने का अधिकारी होने की घोषणा की जाती है गलती से टाईप हो गया है जिसे संशोधित किया जाना न्याय संगत होना बताते हुए प्रार्थना पत्र में उक्त त्रूटि सेहवन से होना तथा इसकी जानकारी वादीगण को पटवार हल्का द्वारा दिनांक 10.7.2017 को खाते में इन्द्राज करते समय बताया जाना तथा निर्णय एक पक्षीय होने से विपक्षीगण प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं होने से निर्णय एंव डिकी में संशोधन कराये जाने निवेदन किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ निर्णय एंव डिकी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर राजरथान काश्तकारी अधिनियम की धारा 152 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रतिवादी को सुना गया ।

मूल वाद संख्या 71/2010 अन्तर्गत धारा राज0टि0एक्ट 88,188 अनवान मानजी पिता कुरिया पटेल वगैरा बनाम श्रीमती जीवं पत्नि जगजी पटेल निवासी पिण्डावल दिनांक 21.10.2010 को दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 17.2.2016 को न्यायालय निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार एवं डिकी किया गया है । प्रकरण में प्रोसिडिंग दिनांक 29.9.2015 को वकील प्रतिवादी द्धारा हिदायत पैरवी नहीं होना बताया जाने से प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश हुए है। वकील वादी के प्रार्थना पत्र के कम में वाद पत्र /निर्णय एवं डिकी का अवलोकन किया गया । वाद पत्र के पृष्ठ संख्या 3 के बिन्दु संख्या 6 के अन्तिम पंक्ति में खसरा नम्बर 491/475,492/476,493/477,494/478,495/479,496/480, अंकित है जबकि निर्णय दिनांक 17.2.2016 के पैरा संख्या 2 की सातवी पंक्ति में खसरा नम्बर 491/475,492/476,493/477,494/478,495/479,495/480 अंकित है । निर्णय में सेहवन से खसरा संख्या 475/480 के स्थान पर 495/479 अंकित होकर खसरानम्बर 496/480 का अंकन छुट गया है ।

इसी प्रकार दावे में वांछित दाद बिन्दु संख्या 19 ख में अंकित भेमजी के देहावसान के बाद वादी संख्या 1 के पक्ष में बक्षीसनामा दिनांक 19.2.85 से वादी का स्वत्व अधिकार स्थापित हो जाने से भेमजी के बजाय अपना नाम प्रतिस्थापित कराने के होने का अधिकार नहीं है ,वादी अपना नाम प्रतिस्थापित कराने का अधिकारी है ' चाही गई है लेकिन निर्णय प्रष्ठ संख्या 9 पैरा संख्या 2 की सातवी पंक्ति में " भेमजी के देहावसान के बाद 1/2 हिस्से में वादी अपना नाम प्रतिस्थापित कराने का अधिकारी होने की घोषणा " सेहवन से अंकित है ।

अतः प्रार्थना पत्र वकील वादी अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0बाबत निर्णय एंव डिकी में संशोधन का स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 17.2.2017 के अन्तिम पृष्ठ के पैरा संख्या 2 को " उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 से 5 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार एंव डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि बक्षीसनामा दिनांक 19.2.85 के द्धारा बक्षीसकर्ता ने अपने स्वामित्व एंव आधिपत्य की समस्त जायदाद जिसमें भेमजी के सहखातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 491/475,492/476,493/477,494/478,475/480,496/480जिसमें भेमजी का हिस्सा है जो बक्षीस में सम्मिलित घोषित की जाकर प्रतिवादीनी का कोई स्वत्व अधिकारनहीं होने से भेमजी के देहावसान के बाद भेंमजी के हिस्से में 1/2–1/2 हिस्से में वादीगण अपना नाम प्रतिस्थापित कराने के अधिकारी होने की घोषणा की जाती है एंव प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त खाते की आराजीयात के वादी के हिस्से को किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करें ,रहन ,विकय ,बक्षीस ,नहीं करें ,वादीगण को आराजीयात का उपभोग करने से रोकें नहीं ,किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहूँचावें ।" पढा जाने संशोधन किया जाता है । संशोधन के अनुसार संशोधित डिकी जारी की जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा